

**Speed post /त्रिव डाक**

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस**

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202



संख्या: MCDR-MiFLOLST/9/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM दिनांक: /11/2024

प्रेषित: खान एजेंट,

आर्निया जोशी चुनापत्थर खान,  
मेसर्स नुवोको विस्टास कोरपोरेशन लिमिटेड,  
विलेज तथा पोस्ट: भवालिया,  
जिला: चित्तोडगढ़ (राजस्थान), पिन: 312620

(e-mail: [jai.singh@nuvoco.com](mailto:jai.singh@nuvoco.com), [jivabhai.sagar@nuvoco.com](mailto:jivabhai.sagar@nuvoco.com))

**विषय:** राजस्थान राज्य के चित्तोडगढ़ जिले में स्थित आपकी अरनिया-जोशी चुनापत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 22/10/2024 and 23/10/2024 by undersign in presence of Sri Jivabhai Sagar, Mine Manager, Sri Mahendra Kumar Vyas, Mining Engineer and Sri Krishana Kumar Sharma, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of the Annual return for the year 2023-24 following discrepancy have been observed: (1) Part-VII (cost of production): (i) The cost of production of ore-mineral produced is furnished as Rs. 284.05 per tons, however, as per figures of expenses figures furnished under various heads of annual return the cost of ore-mineral production per unit comes to 251.44 per tons. (iii) Similarly, the figures of depreciation i.e. Rs. 3.15per ton furnished in part VII of annual return is not matching with the figures arrived on calculation based on amount of deprecation furnished under respective head of annual return (depreciation Rs.9276614/ ROM production 392643.26 tons). (iv) The figure of production in second table of part-VII under heading “production proposal for the financial year 2023-24” is not matching with the approved proposal for the year 2023-24.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।
05. कृपया ध्यान रखें के भविष्य में आपको इस संदर्भ मे कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक

भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेडा।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक

भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर